पी.बी./आर.टी.आई./90/2018-19
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
प्रधान न्यायपीठ

61/35 कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली - 110001.

दिनांकित : 29.04.2019

अपील नं. 02/2019

श्री हरेन्द्र कुमार भारती — अपीलकर्ता

सी.पी.आई.ओ. (न्यायिक)
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण — प्रत्यर्थी

तथ्य :

यह प्रथम अपील दिनांक 08.04.2019 को प्राप्त हुई है । यह अपील सी.पी.आई.ओ. (न्यायिक) द्वारा अपीलकर्ता के दिनांक 08.03.2019 के सूचना का अधिकार आवेदन के उत्तर दिनांकित 22.03.2019 के विरुद्ध फाइल की गई है । अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 08.03.2019 के सूचना का अधिकार आवेदन के माध्यम से माननीय न्यायमूर्ति वी.के. बाली, पूर्व अध्यक्ष एवं माननीय श्री एल.के. जोशी, पूर्व सदस्य द्वारा, राज्य सेवा में आरक्षण से संबंधित आदेश, जोकि दिनांक 05.01.2008 को "राज एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ था, की प्रति मांगी है । मैंने अपीलकर्ता के सूचना का अधिकार आवेदन दिनांकित 08.03.2019 तथा सी.पी.आई.ओ. (न्या.) द्वारा दिए गए उत्तर का अवलोकन किया है ।

मैं सी.पी.आई.ओ. (न्या.) द्वारा दिए गए उत्तर से सहमत हूँ क्योंकि केस नं. के बिना सी.पी.आई.ओ. द्वारा विशिष्ट जानकारी दे पाना संभव नहीं है । यह अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है तथा हर वर्ष यहाँ हजारों केस दर्ज होते हैं । इसलिए, लोक प्राधिकारी द्वारा सभी न्यायिक रिकॉर्डस की जांच कर पाना संभव नहीं है ।

अपीलकर्ता द्वारा रु. 10/- के 42F 509367, 42F 509368, 42F 509369, 42F 509370 तथा 42F 509371 नं. के पांच आई.पी.ओ. फाइल किए गए हैं । सभी आई.पी.ओ. मूल रूप में अपीलकर्ता को वापस किए जा रहे हैं ।

इस प्रकार इस अपील का निस्तारण किया जाता है ।

यदि अपीलकर्ता इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो यह आदेश जारी होने के 90 दिन के अंदर, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत, द्वितीय अपीली प्राधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, बी-विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली के समक्ष दूसरी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं ।

(गौतम मंडल)
प्रधान रजिस्ट्रार/प्रथम अपीली प्राधिकारी

प्रति :

1. श्री हरेन्द्र कुमार भारती,
   हाउस नं. 1292, वार्ड नं. 29,
   हॉस्पिटल कॉलोनी पाथाखेड़ा बैतूल,
   पिन 460449.

2. अनुभाग अधिकारी (कंप्यूटर) को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

fa website

Sh. Anoop

Smt. Sonal

29/4